212

संख्या–123/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

विषय– मा0 उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा आबद्ध पैनल अधिवक्ताओं की देय फीस दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल मा0 उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध पैनल अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से शासनादेश सं0–68/XXXVI(1)/2010–43 एक(1)/2003 दिनांक 25.03.2010 को अधिक्रमित हुए निम्नलिखित फीस दरों पर भुगतान दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	प्रति कार्यदिवस की दर से फीस
1	पैनल अधिवक्ता	₹ 3,000/– (₹ तीन हजार मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–04–विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता–00–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 01 NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

क्रमशः–2

संख्या– 123(1) /XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– समस्त पैनल अधिवक्ता (उत्तराखण्ड), मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव